प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2012-13/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Orders relating DR(65%) to Uttarpradesh Pensioners.
Ref:- 1. Circular No Pen(Misc)/Dearness Relief/915 LID17729,17986,18741 dated 28.08.2012 of the AG(A&E) II UP Allahabad.
2. Govt of UP OM No Sa-3-GI-03/X-2012-301/2000TC dt 20.07.12.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) II, Uttarpradesh, Allahabad in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

RP 3887
31/8/12

PM

URGENT

By Speed Post

Office of the Accountant General (A&E)-II,UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/ 915 **Dated:** 28 **/08/2012**

LID-17729, 17986, 18741

22 6398
5/9/12

To,

All Accountant General (A&E), Andhra Pradesh
.....Saifabad.............
.........................Hyderabad 50004

Subject:- Grant of DR in Pension/Family Pension w.e.f. 01/01/2012 etc.

I am forwarding herewith copies of office memo. No. Sa-3-G.I.-03/X-2012-301/2000T.C. dt. 20/07/2012 reg. Grant of Dearness Relief @ 65% w.e.f 01/01/2012 to State Govt. Civil/ family pensioners, No. Ve.Aa.-1-698/10-2012-42 (M)/2008 dt. 19/07/2012 reg. Grant of Dearness Relief @ 65% w.e.f 01/01/2012 to Educational/Technical Institutes, Local Bodies, and work charged employees, No. Ve.Aa.-1-698(2)/10-2012-42(M)/2008 dt. 19/07/2012 reg. Pre-revised scales, No. Sa-3-854/10-2012-301(71)/2009 dt. 25/06/2012 reg. New defined contributory pension scheme and No. Sa-3-G.I.-04/10-2012-301/2000T.C. dt. 20/07/2012 reg. Grant of Dearness Relief @ 139% w.e.f 01/01/2012 in pre-revised scales for necessary action please.

PM
9/9

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,

Angada Rai
Sr. Accounts Officer

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या–सा–3–जी0आई0–03 / दस–2012–301 / 2000टी0सी0
लखनऊ : दिनाँक : 20 जुलाई, 2012

कार्यालय – ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल् / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–78 / दस–2012–301 / 2000 टी0सी0, दिनाँक 13 जनवरी, 2012 जिसके द्वारा महँगाई राहत दिनाँक 01 जुलाई, 2011 से 58 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी, के कम में राज्यपाल महोदय द्वारा, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय–ज्ञाप दिनाँक 13–01–2012 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनाँक 01 जनवरी, 2012 से महँगाई राहत की 07 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में दिनाँक – 01 जनवरी, 2012 से 07 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो जायेगी।

3– महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4– यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन संख्या–सा–3–जी0 आई0–03 / दस–2012–301 / 2000, दिनाँक 18 अप्रैल, 2012 द्वारा जारी

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No.Sa-3-G.I.-03 /X-2012-301/2000T.C.
Dated : Lucknow: 20 July, 2012

Office - Memorandum

Subject-Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

The undersigned is directed to refer to the office memorandum No. Sa-3-78/X-2012-301/2000 T.C. dated January 13, 2012 on the above mentioned subject, sanctioning additional instalment of dearness relief with effect from July 01, 2011 and to say that the Governor is pleased to further enhance by 07 percent, with effect from January 01, 2012, the rate of dearness relief admissible to all civil / family pensioners of this Government to compensate them for the rise, in the meanwhile, in the average consumer price index.

2- As a consequence of the above-mentioned 07 percent rise, the dearness relief payable on the pension will rise from existing 58 percent to 65 percent with effect from January 01, 2012.

3- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

4- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners

किए जा चुके है।

5– यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6– शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–ए–1–252 / दस–10(3)–81, दिनाँक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय– ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

7– महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

(अजय अग्रवाल)
सचिव, वित्त।

सेवा में,

1– उ0प्र0 शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष तथा मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
2– प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर डाटा सेण्टर, वित्त विभाग, कक्ष संख्या–82, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय–ज्ञाप को वित्त विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करा दें।
3– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–1 व 2 तथा ऑडिट–1 व 2, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

/ family pensioners have been issued vide endorsement number G-3-G.I.-03/X-2012- 301/2000, dated 18 April, 2012.

5- These orders will also be applicable to pensioners of institutions aided from State Fund, under the Education / Technical Education Departments, whose pension / family pension is at per with that of the pensioners of the State Government.

6- As per orders issued in O.M. No. A - 1 - 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of additional relief on pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

7- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

(Ajay Agarwal)
Secretary, Finance.

To,

1- All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Chief/ Senior Treasury Officers U.P.
2- Officer Incharge Computer Data Centre, Finance Department, Room No.-82, Naveen Bhavan, U.P. Civil Secretariat with the request to upload this O.M. on the Finance Department's website.
3- Accountant Genral{A&E} 1and 2, and Audite 1 and 2, u.p., Allahabad.
4- Accountant Genral, Uttarakhand, Dehradun.
5- Principal Secretary, Finance, Uttarakhand,Dehradun.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 42 सा0 वित्त–24–7–2012–(2344)–3,000+2 प्रतियां (ऑफसेट)।

संख्या–वे0आ0–1–698 / दस–2012–42(एम) / 2008

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
(2) वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) / शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश–8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 19 जुलाई, 2012

विषयः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01–01–2012 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

(1) शासनादेश संख्या वे0आ0–1–60 / दस–2012–42(एम) / 08, दिनॉक 13 जनवरी, 2012
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1(1) / 2012–ई–।।(बी), दिनांक 03 अप्रैल, 2012 ।

SS/Br
131

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वे0आ0–1–60 / दस–2012–42(एम) / 08, दिनॉक 13 जनवरी, 2012 के कम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णक़ालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारको को दिनांक 01 जनवरी, 2012 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :–

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01–01–2012	मूल वेतन का 65 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

4- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा।

5- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2012 से दिनांक 31 जुलाई, 2012 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2012 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 जुलाई, 2013 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नही निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2012 से (माह अगस्त, 2012 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2012 को देय) नकद किया जायेगा।

ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

8— नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय मँहगाई भत्ते के ऐरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर—1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर—1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रुप में दी जायेगी।

9— महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश सख्या—सा—4—12/दस—97—500 (1)/97, दिनांक 7—10—1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

10— जिन अधिकारियो/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनॉक 01 जनवरी, 2012 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

संख्या—वे0आ0—1—698(1)/दस—2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—1 एवं 2 तथा (आडिट)—1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0—261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली—110001
(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(8) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड़, इलाहाबाद।

संख्या–वे0आ0–1–698(2)/दस–2012–42(एम)/2008

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश–8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 19 जुलाई, 2012

विषयः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित नही हुए है, को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2012 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

(1) शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–975/दस–2005–41/04 दिनांक 22 सितम्बर, 2005।
(2) शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–72/दस–2006–31/04 दिनांक 31 जनवरी, 2006
(3) शासनादेश सं0–वे0आ0–1–60(2)/दस–2012–42(एम)/08 दिनांक 13 जनवरी, 2012
(4) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन – संख्या–1(3)/2008–संस्था–।।(ख), दिनांक 20 अप्रैल, 2012

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–वे0आ0–1–60(2)/दस–2011–42(एम)/08, दिनांक 13 जनवरी, 2012 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों

पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नही है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नही हुए है, को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2012 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2012	वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 139 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा।

4- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

5- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2012 से दिनांक 31 जुलाई, 2012 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2012 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 जुलाई, 2013 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंतिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक 01 सितम्बर, 2012 से (माह अगस्त, 2012 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2012 को देय) नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

7— नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय मँहगाई भत्ते के ऐरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर—1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर—1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रुप में दी जायेगी।

8— महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश सख्या—सा—4—12/दस—97—500(1)/97, दिनांक 7—10—1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

9— जिन अधिकारियो/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनॉक 01 जनवरी, 2012 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

<u>संख्या—वे0आ0—1—698(3)/दस—2012, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—1 एवं 2 तथा (आडिट)—1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0—261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली—110001

(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।

(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(8) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद।

O/o A.G. A&E-II U.P.
UNIQUE No. 18741
Co-ordination
SECTION

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या–सा–3– 854 /दस–2012–301(71)/2009
लखनऊ : दिनाँक : 25 जून, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने विषयक शासनादेश संख्या–सा–3–1124/दस–2010–301(9)/2003 टी0सी0, दिनाँक 15 सितम्बर, 2010 सपठित शासनादेश संख्या–सा–3–1671/दस– 2010–301(9)/2003 टी0सी0, दिनाँक 16 सितम्बर, 2010 एवं संख्या–सा–3–1718/दस–2011, दिनाँक 20 दिसम्बर, 2011 तथा शासनादेश संख्या–सा–3– 571/दस–2012–301(9)/एस0ए0बी0/2011, दिनाँक 21 मार्च, 2012 के कम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायतित ऐसी शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना के समान पेंशन योजना दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व से लागू थी और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरांत नियुक्त होने वाले कार्मिक नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

नील रतन कुमार
संयुक्त सचिव।

SSD/134

संख्या–सा–3– 854 (1)/दस–2012, तद्दिनाँक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, इलाहाबाद।
3– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन, लखनऊ।
5– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

17 AUG 2012

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

Sri Fareed Ji

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 35 सा0वित्त–05.07.2012–(2164)–500+2 प्रतियां (आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या:सा–3–जी0आई0–04 / दस–2012–301 / 2000टी0सी0
लखनऊ : दिनाँक : 20 जुलाई, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनाँक 01–01–2012 से महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–79 / दस–2012–301 / 2000, दिनाँक 13 जनवरी, 2012 द्वारा जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेशंनरों की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तद्नुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेशंन स्वीकृत हुई है, को पेंशन पर महँगाई राहत दिनाँक 01–07–2011 से 127 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की गयी थी, के कम में उक्त श्रेणी के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत दिनाँक 01–01–2012 से 139 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी।

2– यह भी स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी हैं कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

3– क्योंकि अनन्तिम पेशंन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेशंन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करें।

4– अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(अजय अग्रवाल)
सचिव, वित्त।